कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान– बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा एस.बी. याचिका संख्या 7389/2017 में दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.17 में प्रार्थिया को विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश दिये गय थे। उक्त आदेश के क्रम में प्रार्थिया श्रीमती रजनी लखोटीया पुत्री श्री रामरतन लखोटिया निवासी वैशाली नगर, अजमेर द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 23.05.17 प्रस्तुत किया गया।

श्रीमती रजनी लखोटिया ने अपने अभ्यावेदन के द्वारा व्याख्याता से प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति (डीपीसी वर्ष 2016–17) उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) अजमेर द्वारा किये गये वेतन निर्धारण रू0 23140/– को गलत बताते हुए श्रीमती लखोटिया द्वारा न्यूनतम वेतन रू0 18600/– मानते हुए ग्रेड पे 6600 जोड़कर (18600+6600= 25200) वेतन निर्धारण की मांग की गयी।

श्रीमती लखोटिया के अभ्यावेदन का गहनता से गुणा व गुण अध्ययन एवं परीक्षण किया गया तथा उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में श्रीमती लखोटिया द्वारा प्रधानाचार्य पद हेतु न्यूनतम वेतन रू0 18600/– बताया गया है जो सही नही है। क्योंकि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार प्रधानाचार्य के पद हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला 15600–39100 में ग्रेड पे 6600 निर्धारित है। प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती का नही है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है। कार्मिक की पदौन्नति पर पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के नियम 24 के प्रावधान अनुसार पदोन्नति होने पर धारित मूल वेतन का 3% की दर से एक वेतनवृद्धि तथा ग्रेड पे की अन्तर राशि दिया जाकर वेतन निर्धारण की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के वित विभाग के नियमों के परिपेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) अजमेर द्वारा प्रार्थिया श्रीमती रजनी लखोटिया का प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति पर किया गया वेतन निर्धारण राशि रू0 23140/– नियमानुसार है। अतः प्रार्थिया श्रीमती रजनी लखोटिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। संभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/ए–7/रजनी लखोटिया/या.स./7389/2017 दिनांकः 06-8-2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. शासन उपसचिव शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रभारी अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि), जयपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–द्वितीय) अजमेर ।
4. अनुभांग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
5. रजनी लखोटिया पुत्री श्री रामरतन लखोटिया निवासी I-Ga-9, वैशाली नगर, अजमेर ।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्रीमती संध्या आर्य प्रधानाचार्य, राबाउमावि–किशनगढ रेनवाल, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि–छोटी बिजोलिया भीलवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आर्य द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 787/2018 श्रीमती संध्या आर्य बनाम सरकार दायर की गई।

अपील सं 787/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 द्वारा अपीलार्थिया को दिनांक 29.06.2018 तक अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.07.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया के अभ्यावेदन निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थिया के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के एकल महिला होने, माता के गठिया रोग से ग्रसित होने एवं अपीलार्थिया को ज्यादा चलने फिरने से इंकार किये जाने की चिकित्सकीय सलाह के मध्यनजर अपीलार्थिया संध्या आर्य द्वारा स्वयं को किशनगढ रेनवाल, जयपुर में ही प्रधानाचार्य के पद पर यथावत रखे जाने की परिवेदना की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थिया से प्राप्त अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलार्थिया जो एक राज्य सेवा के अधिकारी हैं, जिसे नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक आधार पर/छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थिया संध्या आर्य को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 की अनुपालना में राउमावि–किशनगढ रेनवाल, जयपुर से तत्काल कार्यमुक्त होकर राउमावि–छोटी बिजोलिया, भीलवाडा में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 10.08.2018 तक कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 6.8.18

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/संध्या आर्य/अपील/787/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/अजमेर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर/भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. श्री घनश्याम कुमावत, प्रधानाचार्य राबाउमावि–किशनगढ रेनवाल जयपुर।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर